कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश क्रमांक / एफ–5 / 2023 / 10–11 /2762 भोपाल, दिनांक 4/723 प्रति,

वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अनूपपुर, मध्यप्रदेश।

विषयः—अनूपपुर जिले के अन्तर्गत जियो डिजीटल फाइबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Rajendragram-Padari Route में मार्ग के किनारे—किनारे ओएफसी लाईन डालने हेतु 0.26 हेक्टेयर वनभूमि Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. भोपाल को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/Others/30706/2017)

---0---

उपरोक्त प्रस्ताव वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर ने इस कार्यालय को ऑनलाईन अनुमोदन हेतु प्रेषित किया है।

उपरोक्त प्रस्ताव मार्ग के किनारे–किनारे ROW में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 22.08.2022 के अनुसार ROW में ऑप्टिकल फाइबर केवल लाईन, पानी की पाईप लाईन, विद्युत लाईन तथा गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति के अधिकार नोडल अधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रकरण में अनूपपुर वन मण्डल के परिक्षेत्र जैतहरी एवं अनूपपुर की 0.26 हेक्टेयर वनभूमि में मार्ग के किनारे—किनारे ROW में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

- उपरोक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन की चौड़ाई 01 मीटर से अधिक एवं गहराई
  02 मीटर से अधिक न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन सड़के के किनारे–किनारे ROW में ही डाली जावे।
- 2- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- User agency shall restrict the no felling of trees.
- 5- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 6- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 7- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

-2-

E:\27-06-2023\2023\4ROW 2023.docx

- 8- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 9- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 10- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 11- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 12- The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्तानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी न की जावे।

> (सुनील अंग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 723

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 2023 / 10–11 / 2763 प्रतिलिपिः–

- 1— मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश।
- SCO, Jio Digital Fiber Pvt. Ltd., 3rd Floor, DB Mall, Zone-1 M.P. Nagar Bhopal, Madhya Pradesh.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल

E:\27-06-2023\2023\4ROW 2023.docx